राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1444/2008/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन राजस्थान, घट– III, वृत–I, जयपुर ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जे.पी.स्टील कम्पनी,
गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री विक्रम गोगरा,
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक :– 06/03/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 368/आरएसटी/ए/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 25.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, तृतीय, वृत–प्रथम, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 16.06.1998 को प्रत्यर्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किया गया। वक्त सर्वेक्षण भौतिक सत्यापन के पश्चात रुपये 1,80,000/– का माल अधिक अर्थात अघोषित पाया गया। सशक्त अधिकारी ने इसे राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण प्रत्यर्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवसायी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब से असंतष्ट होकर सशक्त अधिकारी ने ओदश दिनांक 16.06.1998 द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध धारा 77(8) अधिक पाये गये माल कीमतन रुपये 1,80,000/– पर धारा 77(8) के तहत शास्ति रुपये 36,000/– आरोपित की गई है। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25.09.2007 के द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवसायी की अपील स्वीकार की। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिकृत अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध शास्ति आरोपण की कार्यवाही अविधिक रुप से की गई

लगातार.....2

है। वक्त सर्वेक्षण सशक्त अधिकारी द्वारा माल का भौतिक सत्यापन नियम 50 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है। अधिक पाये गये माल के बाबत सशक्त अधिकारी को स्पष्ट रुप से निवेदन कर दिया गया था कि दिनांक 15.06.1998 को रात्रि में आया है एवं भूलवश इसका बिल वाहन चालक अपने साथ ले गया था जो कि प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रत्यर्थी को समुचित सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। अपील मीमो के साथ वाहन चालक द्वारा दिनांक 15.06.1998 को माल व्यवसाय स्थल पर उतारा गया का शपथ पत्र, श्री अरविन्द कुमार, भागीरथ फर्म का शपथ पत्र जो कि सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर मौजूद थे एवं मुनीम फर्म के शपथ पत्र संलग्न किए गए तथा साथ ही व्यापार खाता, एवं वाहन संख्या आर.जे.14—जी/6125 का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा वाहन चालक के अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी गई। जिससे यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर वक्त सर्वेक्षण किसी भी प्रकार से अघोषित माल नहीं था। सशक्त अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन माल की मात्रा के आधार पर किया गया। अपने तर्क के समर्थन में अधिकृत अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. बनाम मैसर्स असम रोलर एण्ड फलोर मिल्स व अन्य 2013-35TUD-239 व वा.क.अ. बनाम मैसर्स बद्रीलाल व केदार लाल व अन्य 2015—42TUD-1 पेश करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन नियम 50 में दिए गए आदेशात्मक प्रावधानों की पालना करते हुये नहीं किया है। रेकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। अपीलीय अधिकारी द्वारा कारणों सहित आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. फलतः अपीलार्थी—राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(खेमराज)
अध्यक्ष